इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 434] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2015—कार्तिक 7, शक 1937

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 अक्टूबर 2015

सूचना

क्रमांकः एफ 7–26/2013/छैः नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक 29 सन् 2001) की धारा 13 की उपधारा (1) तथा उप–धारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नियमों के उक्त प्रारूप पर इस सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन का अवसान होने पर विचार किया जाएगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त नियमों के प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) नियम, 2015 है।

(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें।

2. परिभाषाएं– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) 'अधिनियम' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सार्वजनिक स्थान (धार्मिक भवन एवं गतिविधियों का विनियमन) अधिनियम, 2001 (क्रमांक् 29 सन् 2001);

(ख) 'बाजार मूल्य' से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना तथा उनका पुनरीक्षण नियम, 2000 के अधीन कलेक्टर द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार निर्धारित किया गया भूमि का मूल्य;

3. उन निर्मितियों की, जिनका निर्माण 29 सितम्बर, 2009 के पूर्व हो चुका है, जांच के लिये प्रत्येक जिले मे एक जिला समीक्षा समिति गठित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित समाविष्ट होंगे, अर्थातः–

(एक) कलेक्टर	– अध्यक्ष
(दो) पुलिस अधीक्षक	– सदस्य
(तीन) उप–संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश	– सदस्य
(चार) आयुक्त, नगरपालिका निगम/ मुख्य नगरपालिका अधिकारी	– सदस्य
(पांच) उप–खण्ड अधिकारी (राजस्व)	– सदस्य सचिव

4. जहां धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने पर या स्वप्रेरणा से कलेक्टर के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी संरचना का सन्निर्माण इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किया गया है, तो वह मामले की जांच करेगा कि क्या ऐसी अप्राधिकृत संरचना 29 सितम्बर, 2009 के पूर्व परिनिर्मित की गई थी।

5. यदि ऐसी संरचना 29 सितम्बर, 2009 के पूर्व परिनिर्मित की गई थी तो कलेक्टर मामले को उपरोक्त नियम 3 के अधीन गठित जिला संवीक्षा समिति को निर्दिष्ट करेगा।

6. मामले की संवीक्षा के पश्चात् जिला संवीक्षा समिति संभागीय आयुक्त को अधिनियम की धारा 3 के अधीन जहां है जैसी है, के आधार पर नियमितीकरण करने के लिये अपनी अनुशंसाएं करेगी।

परन्तु–

(एक) सार्वजनिक स्थान पर हुआ कोई भी अतिक्रमण धार्मिक संरचना के रूप में नियमित किये जाने के लिये अनुज्ञान नही किया जाएगा।

(दो) धार्मिक अप्राधिकृत संरचना को हटाने/पुनःस्थापित करने/नियमित करने के ऐसे मामले, प्रकरणवार आधार पर लिये जांएगे।

(तीन) समस्त पुरानी और सार्वजनिक स्वरूप की धार्मिक संरचनाएं, विशेष रूप से वे संरचनाएं जो 29 सितम्बर, 2009 से 30 वर्ष से अधिक पुरानी है, नियमितीकरण के लिये पहले विचार में ली जाएगी। जिला संवीक्षा समिति द्वारा पुनर्विलोकन किया जाएगा, जो इसके पश्चात नियमितीकरण हेतु उपयुक्त पाए गए मामलों को संभागीय आयुक्त के माध्यम से राज्य सरकार को निर्दिष्ट करेगी।

7. ऐसी धार्मिक संरचना को हटाने या पुनःस्थापित करने के पूर्व जिला प्रशासन संबंधित स्थानीय समुदाय के सदस्यों के बीच व्यापक सर्वसम्मति बनाने का प्रयत्न करेगा जिससे ऐसी संरचना का शांतिपूर्वक हटाया जाना अथवा उसका पुनः स्थापन सुनिश्चित किया जा सके।

8. यदि संरचना को हटाये जाने या पुनःस्थापित किये जाने में विधि–व्यवस्था की किसी स्थिति की आशंका हो तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा ताकि राज्य सरकार की सहमति से समुचित कार्यवाही की जा सके।

9. यदि कोई अप्राधिकृत सन्निर्माण भारत सरकार या उसके सार्वजनिक उपक्रम द्वारा धारित किसी भूमि पर किया गया है, तो ऐसे अप्राधिकृत सन्निर्माण को नियमित करने लिये, यथास्थिति, उस सरकार या उसके सार्वजनिक उपक्रम से पूर्व सहमति प्राप्त की जाएगी।

10. उस दशा में, जहां कि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न होती हो, तो जिला संवीक्षा समिति, मामले को, सचिव, धार्मिक न्यास तथा धर्मस्व विभाग को निर्दिष्ट करेगी। राज्य सरकार, ऐसे निर्दिष्ट किए गए मामलों के लिये एक अन्तर विभागीय समिति गठित कर सकेगी, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा।

11. किसी भी अप्राधिकृत सन्निर्माण को नियमित नही किया जाएगा यदि उसका किसी व्यक्ति द्वारा उसके स्वयं के हितों/अभिलाभों के लिये उपयोग किया जा रहा हो या किन्हीं वाणिज्यिक गतिविधियों के लिये उपयोग किया जा रहा हो। धार्मिक संरचनाओं से भिन्न ऐसी समस्त संरचनाएं हटाए जाने के दायित्वाधीन होंगी।

12. धार्मिक संरचनाएं जो सार्वजनिक श्रद्धा से जुडी हों और जहां विधि और व्यवस्था की स्थिति उदभूत होती हो तब उन संरचनाओं का नियमितीकरण किया जा सकेगा।

13. किसी ऐसे समुदाय/पंथ/धर्म के किसी धार्मिक भवन को, जिसके अनुयायी उस क्षेत्र में विपुल संख्या मे निवास करते हों और उस समुदाय या पंथ या धर्म की कोई संस्था उस क्षेत्र में स्थित नहीं है, उन धार्मिक भवनों को नियमितीकरण के लिये विचार में लिया जा सकेगा।

14. कलेक्टर, स्वप्रेरणा से या धारा 3 के अधीन किसी संरचना में धार्मिक गतिविधियों से भिन्न किन्हीं गतिविधियों के संबंध में कोई सूचना प्राप्त होने पर, धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे सन्निर्माण को हटा सकेगा।

15. यदि जिला संवीक्षा समिति की कोई अनुशंसा अस्वीकार कर दी जाती है तो ऐसी संरचना ऐसी अस्वीकृति की तारीख से 30 दिन के भीतर हटा दी जाएगी या किसी नए स्थान पर पुनःस्थापित कर दी जाएगी।

16. उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियमित की गई ऐसी भूमि पर कोई भू–राजस्व निर्धारित या प्रभारित नहीं किया जाएगा।

DRAFT RULES

1. **Short title and commencement.-**

(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Niyam 2015.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. **Definition**.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) 'Act' means the Madhya Pradesh Sarvajanik Sthan (Dharmik Bhawan Evam Gatividhiyon Ka Viniyaman) Adhiniyam,2001 (No.29 of 2001);

(b) 'market value' means the value of land assessed according to the guidelines issued by the Collector under the Madhya Pradesh Bajar Mulya Margdarshak Siddhanton Ka Banaya Jana Tatha Unka Punrikshan Niyam, 2000;

(c) 'Section' means the section of the Act.

3. For enquiry of those structures which have been erected before 29 th September, 2009 a District Scrutinizing Committee shall be constituted in each District which shall comprise of the following, namely:-

(i)	Collector	-	Chairmen
(ii)	Superintendent of Police	-	Member
(iii)	Deputy Director,Town and Country Planning	-	Member
(iv)	Commissioner, Municipal Corporation/Chief Municipal Officer	-	Member
(v)	Sub-divisional Officer (Revenue)	-	Member Secretary

4. Where the Collector on receipt of the report under sub-section (1) of Section 6 or *suo motu,* has reason to believe that a structure has been constructed in contravention of the provisions of the Act, he shall inquire into the matter, whether such unauthorized structure had been erected before 29th September, 2009.

5. If such structure had been erected before 29th September, 2009 the Collector shall refer the matter to the District Scrutinizing Committee constituted under rule 3 above.

6. After scrutinizing the matter, the District Scrutinizing committee shall make its recommendations to the Divisional Commissioner for in-situ regularization under section 3:

Provided that-

(i) any encroachment in public place shall not be allowed to be regularized in the name of religiuos structure;

(ii) such Cases of removal/relocation/regularization of religious unauthorized structure shall be taken up on case-to case basis;

(iii) all old and publicly religious sructures, in particular structures which are 30 years old from 29 th September, 2009 shall be taken up for regularization firstly. Review shall done by the District Scrutinizing committee, which thereafter may refer the cases found fit for regularization to the State Government through Divisional Commissioner.

7. Before removal or relocation of such religious structure district administration shall try make a large consensus amongst the members of the local community concerned so as to ensure a peaceful removal or relocation of such structure.

8. If any law and order situation is suspected in removal or relocation of structure, the matter shall be referred to the State Government, so that the appropriate action may be taken with the consent of the State Government.

9. If any unauthorized construction has made on any land owned by Goverment of India or its public undertaking, prior consent, to regularize such unauthorized construction shall be taken from that Government or its public undertaking, as the case may be.

10. In case, any doubt about interpretation of these rules arises, the District Scrutinizing Committee shall refer the case to the secretary, Religious Trust and Endownment Department. The State Goverment may constitute an Inter-Departmental Committee for such reffered cases, whose decision thereon shall be final.

11. No unauthorized construction shall be regularized if it is being used by any individual for his personal interests/gains or is being used for any commercial activities. All such structures, other than religious structures, shall liable to be removed.

12. The religious structures which are linked with public esteem and when a law and order situation arises, then those structure may be taken up for regularization.

13. Any religious building of any community/creed/religion, the followers of which reside in that area in significant numbers and no such institution of that community or creed or religion is situated in that area, those religious buildings may be taken into consideration for regularization.

14. The Collector may, on its own motion or on receiving any information regarding any activities other than religious activities in any stucture under sub section 3, remove such construction under sub-section (4) of section 6.

15. If any recommendation of District Scrutinizing Committee is rejected, such structure shall be removed or relocated in any new place within 30 days from the date of such rejection.

16. No land revenue shall be assessed or charged on such land regularized under the aforesaid provisions.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.